सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक नियमावली (2024)

यह नियमावली (प्रारूप) सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी0जी0) कॉलेज साहिया, देहरादून द्वारा वर्ष 2024 में डॉ0 शशिकला सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) की अध्यक्षता में तैयार की गयी है, महाविद्यालय पत्र–पत्रांक संख्या– 01664/SMR/064/057/2024 दिनांक 16 जनवरी, 2024 के अनुपालन में आवंटित अतिरिक्त पदभारों के क्रम में मुझे महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक समिति प्रभारी नियुक्त किया गया।

1. इसका नाम सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी0जी0) कॉलेज अभिभावक–शिक्षक समिति नियमावली 2024 होगा एवं इसका विस्तार महाविद्यालय कार्यपरिषद के द्वारा किया जाएगा।

2. (क) यह नियमावली महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लागू की जाएगी एवं यह नियमावली सत्र–2024 से लागू होगी।

(ख) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम '**महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक समिति नियमावली 2024** होगा।

3. महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक समिति नियमावली का स्वरूप निम्नवत् रहेगा–

(क) अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंवं कोषाध्यक्ष का चयन आम सभा में किया जाएगा।

(ख) अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी में सचिव एवं सह–सचिव को महाविद्यालय प्रबन्धन समिति / प्राचार्य द्वारा नामित किया जाएगा।

अध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्राओं के अभिभावक (माता / पिता) अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के अध्यक्ष होंगे। इनका कार्य बैठक की अध्यक्षता करना एवं छात्र व महाविद्यालय के हितों के लिए प्रयास करना होगा।

उपाध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्राओं के अभिभावक (माता / पिता) अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष होंगे। इनका कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य देखना होगा।

कोषाध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्राओं के अभिभावक (माता / पिता) अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष होंगे। इनका कार्य छात्र हितों के लिए

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज
S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE
Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

आवंटित/एकत्रित कोष का रख–रखाव करना एवं पारित प्रस्ताव को प्रबन्ध समिति के समक्ष रखना होगा। कोष का आहरण–वितरण प्रबन्ध समिति के अधीन होगा।

सचिव– महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक समिति का प्रभारी अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी का सचिव होगा। जिसका कार्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाना एवं बैठकों की समस्त कार्यवाही को पंजिका में अंकित करना होगा।

सह–सचिव– महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी या प्राचार्य द्वारा नामित सदस्य अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के सह–सचिव होगें।

सदस्य– 1. महाविद्यालय के लेखाकार/सहायक लेखाकार अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।

2. अभिभावक–शिक्षक समिति कार्यकारिणी के अधिकतम 03 सदस्य संस्थागत छात्र–छात्राओं के अभिभावक (माता/पिता) होंगे। जिनका चयन आम सभा में किया जाएगा।

Shashi
सदस्य सचिव
डॉ0 शशिकला
स0प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
एस0एम0आर0 जनजातीय
(पी0जी0) कॉलेज साहिया

Renugupta
प्राचार्य
डॉ0 रेनू गुप्ता
एस0एम0आर0 जनजातीय
(पी0जी0) कॉलेज साहिया

संस्थाध्यक्ष
श्री अनिल सिंह तोमर
एस0एम0आर0 जनजातीय
(पी0जी0) कॉलेज साहिया